

राजस्थान सरकार  
औषधि नियंत्रण संगठन, कमरा नं0 305, स्वास्थ्य भवन,  
तिलक मार्ग, जयपुर (राजस्थान)।

E-mail: [drugcontrolraj@gmail.com](mailto:drugcontrolraj@gmail.com)  
Contact no. 0141-2221760, 2221670

क्रमांक : डीसी/ए-3/2017/

दिनांक :

समस्त सहायक औषधि नियंत्रक, राजस्थान।  
समस्त औषधि नियंत्रण अधिकारी, राजस्थान।

**अलर्ट नोटिस**

विषय:- गम्भीर रूप से घोषित अवमानक औषधि के सम्बन्ध में अलर्ट नोटिस।

निदेशक इंचार्ज, केन्द्रीय औषधि प्रयोगशाला, कोलकाता ने निम्नांकित औषधि को पुनः जांच में टेस्ट रिपोर्ट जारी कर उसके सम्मुख अंकित कारण से अवमानक कोटि का घोषित किया है:-

S. No.	Name of Drugs/ Batch No.	T/R No. & Date	Manufactured by	Reason
1.	Cefixime Tablets I.P. (FIXID-200 Tablets) T-170341	1640/2017-2018/ DTL/2017 Dt. 13.11.2017	M/s Vizmed Pharmaceuticals Pvt. Ltd., K.No. 227, Sikandarpur Bhaiswal Bhagwanpur, Roorkee-U.K.	The sample does not conform to the claim as it does not contain anhydrous Cefixime (Nil) and found Ofloxacin 86.32mg/tablets.
2.	Azithromycin Tablets I.P. (AZIPAN-250) T-17171	1641/2017-2018/ DTL/2017 Dt. 13.11.2017	M/s Saniva Formulations, 96, Nanhera Anantpur, Bhagwanpur, U.K.	The sample does not conform to the claim as it does not contain anhydrous Azithromycin (Nil) and Tartrazine Colour as Claimed.

अतः आप पूरे राज्य में अपने-अपने क्षेत्र में पूर्ण निगरानी/सतर्कता बरतते हुये औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियम 1945 के प्रावधानों के अनुरूप शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर सूचित करें तथा उक्त निर्माता की अन्य औषधियों के नमूने भी नियमानुसार जांच हेतु लें।

औषधि नियंत्रक,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक : डीसी/ए-3/2017/448

दिनांक : 28/11/2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु मय दवाओं की सूची के संलग्न कर प्रेषित है:-

1. औषधि महानियंत्रक (भारत), एफ.डी.ए. भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली।
2. उप औषधि नियंत्रक(भारत), सी0डी0एस0सी0ओ0 (नार्थ जोन), कमला नेहरू नगर, गाजियाबाद।
3. प्रबन्ध निदेशक, आर0एम0एस0सी0एल0, मुख्यालय।
4. निजी सचिव, मिशन डायरेक्टर, एन0आर0एच0एम0, राज0 जयपुर।
5. निदेशक (जन स्वास्थ्य/प0क0/आईसी/एडस/एम0एस0यू0/ई0एस0आई0), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज0 जयपुर।
6. Drugs Controller (SLA), Director Medical Health & F.W., 17, Chander Nagar, Dehradun (U.A.)
7. निदेशक, जन सम्पर्क निदेशालय, राज0 जयपुर।
8. समस्त अधीक्षक, सामुहिक चिकित्सालय समूह, राजस्थान।
9. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
10. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
11. जन सम्पर्क अधिकारी, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त सभी अधिकारियों को आदेश की प्रति e-mail से भी भिजवावें तथा Drugs Control की विभागीय Website पर upload करने का श्रम करें।
13. रक्षित पत्रावली/संबंधित पत्रावली।

औषधि नियंत्रक,  
राजस्थान, जयपुर